भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1754

दिनांक 03 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति

1754. श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य में विद्युत की कमी का अनुभव किया गया है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय देश की विद्युत आपूर्ति की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करता है। देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 548.86 गीगावाट (जून, 2026 तक) है। देश ने अप्रैल, 2014 से 324.7 गीगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है और विद्युत की कमी वाले देश से विद्युत पर्याप्तता वाला देश बन गया है। इसके अलावा, वर्ष 2014 से दिनांक 30.06.2026 तक, 2,18,267 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 9,47,405 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 84,390 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई है। इस प्रकार, कुल अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 1,20,340 मेगावाट हो गई है, जिससे सभी क्षेत्रों में विद्युत का विश्वसनीय अंतरण संभव हुआ है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अर्थात, 2026-27 (जून, 2026 तक)) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में देश और राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्रमशः **अनुबंध-I और अनुबंध-II** पर दिए गए हैं। 'आपूर्तित ऊर्जा' 'आवश्यक ऊर्जा' के अनुरूप रही है, जिसमें केवल मामूली अंतर है जो आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

इसके अलावा, विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के दायरे आता है। सभी उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को पर्याप्त विद्युत प्रदान करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत की उचित मात्रा की व्यवस्था करना संबंधित वितरण लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारी है।

(घ) : भारत सरकार ने देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं:

I. उत्पादन और भंडारण योजना:

(i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से आगे रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10-वर्षीय रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय आयोजना भी शामिल है।

(ii) सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं निर्माण/अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करें।

(iii) भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:

क. तापीय क्षमता में वृद्धि: दिनांक 31.03.2023 तक 2,11,855 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की तुलना में, 2035-36 तक तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की अनुमानित आवश्यकता लगभग 3,15,000 मेगावाट है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 1,05,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

तदनुसार, अप्रैल 2023 से दिनांक 30.06.2026 तक लगभग 21,080 मेगावाट की तापीय क्षमताएं कमीशन की गई हैं। इसके अलावा, 47,545 मेगावाट की तापीय क्षमता (जिसमें 4,845 मेगावाट की संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 16,000 मेगावाट के अनुबंध अवार्ड किए जा चुके हैं और निर्माण अभी शुरू किया जाना हैं। साथ ही, 22,760 मेगावाट की कोयला और लिग्नाइट आधारित कैंडीडेट कैपेसिटी की पहचान की गई है जो देश में आयोजना के विभिन्न चरणों में है।

ख. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2026-27 से वर्ष 2031-32 की अवधि के दौरान लगभग 16,448 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसमें से 400 मेगावाट दिनांक 30.06.2026 तक कमीशन किया जा चुका है और 12,973 मेगावाट वर्तमान में निर्माणाधीन है।

ग. न्यूक्लियर क्षमता में वृद्धि: 8000 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 5600 मेगावाट परमाणु क्षमता आयोजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

घ. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि: 119,580 मेगावाट सौर (हाइब्रिड-सौर सहित) और 27,720 मेगावाट पवन (हाइब्रिड-पवन सहित) सहित 1,47,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 44,440 मेगावाट सौर सहित 47,830 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

ङ. ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में वृद्धि : दिनांक 30.06.2026 तक, 15,870 मेगावाट/95,220 एमडबल्यूएच की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा कुल 6,580 मेगावाट/39,480 एमडबल्यूएच क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) स्वीकृत की गई हैं और अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ हैं। दिनांक 30.06.2026 तक, 15,754 मेगावाट/42,530 एमडबल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता निर्माणाधीन है, 11,747 मेगावाट/38,425 एमडबल्यूएच को अवार्ड किया गया है और 19,192 मेगावाट/ 67,574 एमडबल्यूएच बीईएसएस क्षमता निविदा चरण में है।

II. नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन को बढ़ावा देना:

(i) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों को 100% माफ किया गया है (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी), साथ ही जून 2028 तक शुरू होने वाली सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवार्ड होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों को 100% माफ किया गया है।

(ii) ग्रिड से संबद्ध सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही हैं।

(iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(v) तीव्र आरई ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना के संवर्धन हेतु, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।

(vi) नवीकरणीय विद्युत की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई अंत: राज्यीय पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।

(vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।

(viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजनाओं जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।

(ix) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, का अनुपालन न करने पर शास्ति ।

(x) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति" जारी की ।

(xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म डे अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च किया गया है।

(xii) सौर पीवी मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की गई है।

III. पारेषण:

अंतर-राज्यीय और अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए अंतरण क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की आयोजना है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें भूमि दर को प्रचलित बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों की ओर से होने वाली आरओडब्ल्यू संबंधी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं।

IV. वितरण:

क. इसके अलावा, भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए पहले दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और

वर्तमान में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता की है।

ख. भारत सरकार ने जुलाई 2021 में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से आरडीएसएस की शुरुआत की। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है। स्कीम के तहत, वितरण यूटिलिटी (निजी क्षेत्र की यूटिलिटी को छोड़कर) को हानि कम करने वाले अवसंरचना के कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम के तहत हानि कम करने वाले अवसंरचना के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

ग. उपर्युक्त के अतिरिक्त, समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में सुधार के लिए विद्युत वितरण यूटिलिटी की सहायता करने के लिए आरडीएसएस के अलावा कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

i. राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधार सहमति, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने पर सशर्त है।
ii. निर्धारित शर्तों के आधार पर विद्युत वितरण यूटिलिटी के कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
iii. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन हेतु नियम, ताकि विद्युत आपूर्ति की सभी विवेकपूर्ण लागतों को समायोजित किया जा सके।
iv. सब्सिडी लेखांकन के उचित क्रियान्वयन तथा उनके समयबद्ध भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

घ. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे वित्त वर्ष 14 में 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 22.6 घंटे हो गए हैं और शहरी क्षेत्रों में भी यह वित्त वर्ष 14 में 22.1 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 23.4 घंटे हो गए हैं।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1754

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में देश की विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण:

वित्त वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1
2025-26	17,07,493	17,06,985	508	0.0
2026-27 (जून, 2026 तक)*	4,83,117	4,82,435	682	0.1

()जून, 2026 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।*

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल,2023 - मार्च,2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,789	1,789	0	0.0
दिल्ली	35,501	35,496	5	0.0
हरियाणा	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,533	69,528	5	0.0
राजस्थान	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,644	15,532	112	0.7
उत्तरी क्षेत्र	**4,76,852**	**4,74,946**	**1,906**	**0.4**
छत्तीसगढ़	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,45,768	1,45,740	28	0.0
मध्य प्रदेश	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,164	10,164	0	0.0
गोवा	5,111	5,111	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**5,17,714**	**5,17,301**	**413**	**0.1**
आंध्र प्रदेश	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	84,623	84,613	9	0.0
कर्नाटक	94,088	93,934	154	0.2
केरल	30,943	30,938	5	0.0
तमिलनाडु	1,26,163	1,26,151	12	0.0
पुद्दुचेरी	3,456	3,455	1	0.0
लक्षद्वीप	64	64	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**4,19,531**	**4,19,293**	**238**	**0.1**
बिहार	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,560	26,552	8	0.0
झारखंड	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	544	543	0	0.0
अंडमान-निकोबार	386	374	12	3.2
पूर्वी क्षेत्र	**1,92,013**	**1,90,747**	**1,266**	**0.7**
अरुणाचल प्रदेश	1,014	1,014	0	0.0
असम	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	684	684	0	0.0
नागालैंड	921	921	0	0.0
त्रिपुरा	1,691	1,691	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**20,022**	**19,733**	**289**	**1.4**
अखिल भारतीय	**16,26,132**	**16,22,020**	**4,112**	**0.3**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0.0
दिल्ली	38,255	38,243	12	0.0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0.0
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	20,374	20,283	90	0.4
पंजाब	77,423	77,423	0	0.0
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3
उत्तरी क्षेत्र	**5,18,869**	**5,17,917**	**952**	**0.2**
छत्तीसगढ़	43,208	43,180	28	0.1
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0.0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1
महाराष्ट्र	2,01,816	2,01,757	59	0.0
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,852	10,852	0	0.0
गोवा	5,411	5,411	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**5,28,924**	**5,28,701**	**223**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0.0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0.0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0.0
केरल	31,624	31,616	8	0.0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0.0
पुद्दुचेरी	3,549	3,549	0	0.0
लक्षद्वीप	68	68	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**4,25,373**	**4,25,349**	**24**	**0.0**
बिहार	44,393	44,217	176	0.4
डीवीसी	25,891	25,888	3	0.0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1
सिक्किम	574	574	0	0.0
अंडमान-निकोबार	425	413	12	2.9
पूर्वी क्षेत्र	**2,00,180**	**1,99,806**	**374**	**0.2**
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0.0
असम	12,843	12,837	6	0.0
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9
मेघालय	2,046	2,046	0	0.0
मिजोरम	709	709	0	0.0
नागालैंड	938	938	0	0.0
त्रिपुरा	1,939	1,939	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**20,613**	**20,596**	**16**	**0.1**
अखिल भारतीय	**16,93,959**	**16,92,369**	**1,590**	**0.1**

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1754

अनुबंध-II-(3/4)

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2025 - मार्च, 2026			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,879	1,879	1	0.0
दिल्ली	38,556	38,548	8	0.0
हरियाणा	70,493	70,427	66	0.1
हिमाचल प्रदेश	13,642	13,595	47	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	20,185	20,166	19	0.1
पंजाब	75,409	75,308	101	0.1
राजस्थान	1,10,657	1,10,657	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,63,501	1,63,475	26	0.0
उत्तराखंड	16,538	16,475	63	0.4
उत्तरी क्षेत्र	**5,12,458**	**5,12,127**	**331**	**0.1**
छत्तीसगढ़	42,933	42,925	8	0.0
गुजरात	1,56,588	1,56,588	0	0.0
मध्य प्रदेश	1,03,711	1,03,696	15	0.0
महाराष्ट्र	2,02,867	2,02,854	13	0.0
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	11,182	11,182	0	0.0
गोवा	5,449	5,449	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**5,36,483**	**5,36,445**	**37**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	81,204	81,197	7	0.0
तेलंगाना	87,274	87,266	8	0.0
कर्नाटक	95,791	95,780	11	0.0
केरल	31,157	31,154	3	0.0
तमिलनाडु	1,32,328	1,32,317	11	0.0
पुदुचेरी	3,508	3,504	3	0.1
लक्षद्वीप	73	73	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**4,31,311**	**4,31,267**	**43**	**0.0**
बिहार	47,440	47,425	14	0.0
डीवीसी	24,755	24,751	3	0.0
झारखंड	15,435	15,430	5	0.0
ओडिशा	44,199	44,193	6	0.0
पश्चिम बंगाल	72,970	72,906	64	0.1
सिक्किम	554	554	0	0.0
अंडमान-निकोबार	423	403	20	4.7
पूर्वी क्षेत्र	**2,05,417**	**2,05,324**	**93**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	1,194	1,194	0	0.0
असम	13,616	13,615	1	0.0
मणिपुर	1,178	1,176	3	0.2
मेघालय	2,095	2,095	0	0.0
मिजोरम	754	754	0	0.0
नागालैंड	996	996	0	0.0
त्रिपुरा	1,903	1,903	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**21,825**	**21,821**	**4**	**0.0**
अखिल भातीय	**17,07,493**	**17,06,985**	**508**	**0.0**

वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2026-27 (जून, 2026 तक) के दौरान राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2026 - जून, 2026 (*)			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	546	546	0	0.0
दिल्ली	11,742	11,739	3	0.0
हरियाणा	19,975	19,881	95	0.5
हिमाचल प्रदेश	3,132	3,124	8	0.2
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	4,769	4,739	30	0.6
पंजाब	21,506	21,328	178	0.8
राजस्थान	27,556	27,556	0	0.0
उत्तर प्रदेश	49,411	49,401	10	0.0
उत्तराखंड	4,571	4,539	33	0.7
उत्तरी क्षेत्र	**1,43,684**	**1,43,329**	**356**	**0.2**
छत्तीसगढ़	12,490	12,474	16	0.1
गुजरात	46,110	46,073	37	0.1
मध्य प्रदेश	26,911	26,884	27	0.1
महाराष्ट्र	58,539	58,374	165	0.3
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	2,682	2,682	0	0.0
गोवा	1,532	1,532	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**1,51,998**	**1,51,753**	**245**	**0.2**
आंध्र प्रदेश	23,808	23,805	3	0.0
तेलंगाना	23,132	23,128	4	0.0
कर्नाटक	28,003	27,985	17	0.1
केरल	8,898	8,881	17	0.2
तमिलनाडु	37,473	37,468	5	0.0
पुद्दुचेरी	1,003	1,002	0	0.0
लक्षद्वीप	20	20	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**1,22,327**	**1,22,281**	**47**	**0.0**
बिहार	14,136	14,118	18	0.1
डीवीसी	6,334	6,334	1	0.0
झारखंड	4,430	4,429	1	0.0
ओडिशा	12,869	12,868	1	0.0
पश्चिम बंगाल	21,598	21,594	4	0.0
सिक्किम	133	133	0	0.0
अंडमान-निकोबार	120	118	3	2.1
पूर्वी क्षेत्र	**59,520**	**59,495**	**25**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	283	283	0	0.0
असम	3,531	3,521	9	0.3
मणिपुर	301	301	0	0.0
मेघालय	532	532	0	0.0
मिजोरम	184	184	0	0.0
नागालैंड	264	264	0	0.0
त्रिपुरा	490	490	0	0.1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**5,588**	**5,578**	**10**	**0.2**
अखिल भारतीय	**4,83,117**	**4,82,435**	**682**	**0.1**

()जून, 2026 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।*
